उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, पाकुड़
(कार्यालयः समग्र शिक्षा, पाकुड़)

आदेश

सरकार के सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार राँची के पत्रांक 2378 दिनांक 30.05.2023 द्वारा सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा संचालन हेतु आदर्श दिनचर्या लागू है। उक्त के आलोक में वर्तमान में विद्यालय का संचालन प्रातः 07:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक हो रहा है। वर्तमान में भीषण गर्मी एवं लू के प्रकोप को देखते हुए छात्र हित में विद्यालय का संचालन का समय निम्नवत रूप से निर्धारित किया जाता है –

1. जिले के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय एवं मान्यता प्राप्त मदरसा का संचालन प्रातः 07:00 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे तक होगा।
2. मान्यता प्राप्त /गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों का संचालन पूर्वाह्न् 11.30 बजे तक होगा। इस श्रेणी के विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय प्रारंभ करने के समय को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए लागू होगा।

उपायुक्त
–सह–
जिला दण्डाधिकारी, पाकुड़।

ज्ञापांक 401 दिनांक 20/4/24

प्रतिलिपि :– जिले के सभी कोटि के सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/ मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय/गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों एवं मदरसा के प्रधानाचार्य/ प्रभारी प्रधानाध्यापक/वार्डेन/प्रधान मौलवी तथा विद्यालय प्रबंधन समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, जिला– पाकुड़ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला शिक्षा अधीक्षक/जिला शिक्षा पदाधिकारी, पाकुड़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.04.24

उपायुक्त
–सह–
जिला दण्डाधिकारी, पाकुड़।